



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

६वा, ७वा, एवं ८वा तल, टावर-बी, बर्ड ट्रेड सेंटर,
नौसेजी नगर, नई दिल्ली-११००२९

याचिका सं. २३६ /टीडी/ २०२४

दिनांक: १.८.२०२४

विद्युत अधिनियम, २००३ (अधिनियम) की धारा १५ की संप-धारा (५) के खंड (क) के अधीन नोटिस

भारत ने विद्युत में अतरसाजिक व्यापार के लिए श्रेणी-V की अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने के लिए जुनिपर ग्रीन पावर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. १८, प्रथम तल, इस्टीचूनल एरिया, सेक्टर ३२, गुरुग्राम-१२२, हरियाणा द्वारा आयोग के समक्ष आवेदन किया गया है।

- जुनिपर ग्रीन पावर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का अतरसाजिक व्यापार अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति वेबसाइट www.junipergreenenergy.com पर दखी जा सकती है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- रिकार्ड पर उपलब्ध सान्त्रिकी के आधार पर, आयोग सतुष्ट है कि व्रत्यन दृष्ट्या आवेदक विद्युत में अतरसाजिक व्यापार के लिए अनुज्ञाले प्रदान किए जाने के लिए अहंक ह और दिनांक १.८.२०२४ के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में अतरसाजिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-V की अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- अधिनियम की धारा १५ की संप-धारा (५) के खंड (क) के अनुसरण में आयोग द्वारा संशोधनीय विद्युत में अन्तर-संस्थाक व्यापार हेतु अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव के प्रति चुनाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हों, आनंदित करने के लिए एलट द्वारा नोटिस दिया जाता है जो कि दिनांक १६.८.२०२४ तक अधोलिखासनों के पास दिए रखा गए घरे पर पहुंच जाएं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग ने दिनांक २०.८.२०२४ को अंतिम निपटान के लिए आवेदन को निर्धारित किया है और जो व्यक्ति सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव